9 जिलों को खत्म करने के मुद्दे पर विपक्ष ने लगातार दूसरे दिन भी सदन में हंगामा किया

कांग्रेस विधायकों ने राजनैतिक द्वेषता से जिलों को खत्म करने का आरोप लगाते हुए सरकार को घेरने की कोशिश की

जयपुर (विसं)। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में नवगठित 17 में से 9 जिलों को खत्म करने के मुद्दे पर कांग्रेस के विधायकों ने लगातार दूसरे दिन विधानसभा में हंगामा किया। दरअसल शून्यकाल में स्पीकर ने स्थगन प्रस्ताव पर कांग्रेस विधायक सुरेश मोदी और रामकेश मीणा को इस प्रकरण पर बोलने की अनुमति दी थी। चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के सदस्यों के बीच बहस हो गई, इसके बाद विपक्ष के सदस्यों ने जिलों को राजनैतिक द्वेषता से खत्म करने का आरोप लगाते हुए वैल में आकर नारेबाजी की। जब हंगामा बढ़ गया तो स्पीकर को सदन की कार्यवाही भोजन अवकाश से करीब आधे घंटे पहले ही स्थगित करनी पड़ी।

दरअसल शून्यकाल में नये जिले समाप्त करने के मुद्दे पर स्पीकर ने दो कांग्रेस विधायकों को चर्चा की अनुमति दी थी। स्थगन प्रस्ताव के बाद कांग्रेस विधायक सुरेश मोदी और रामकेश मीणा ने नीमकाथाना और गंगापुरसिटी जिलों को खत्म कर देने का मुद्दा उठाया। इन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने नये संभाग और नये जिलों का दर्जा समाप्त करके वहां की जनता के साथ अन्याय किया है और क्षेत्र के विकास को खत्म करने का काम किया है। सुरेश मोदी ने कहा कि पंवार कमेटी ने सभी नए जिलों का दौरा किया था लेकिन नीमकाथाना का दौरा नहीं किया, क्योंकि नीमकाथाना जिले को हटाना था। उन्होंने अनुरोध किया कि जो जिले और संभाग हटाए गए हैं, उन्हें वापस बहाल किया जाये।

> ■ **परंतु संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि ''जो जिले निरस्त किए गए हैं, उन्हें लेकर न्यायालय में याचिका लगी हुई हैं। नए जिले बनाने व निरस्त करने का अधिकार सरकार के पास है। राजनीतिक द्वेषता का आरोप गलत हैं।''**

इसी तरह रामकेश मीणा ने कहा कि नये जिलों को सरकार ने बिना किसी मापदंड के समाप्त कर दिया और यह पहले से ही निधार्रित कर रखा था कि इन जिलों को समाप्त करना हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक द्वेषता से नये जिलों को खत्म करने का निर्णय लिया गया है।

मीणा ने कहा कि पिछली सरकार ने 17 नए जिले बनाए लेकिन भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार ने तीन संभाग और नौ जिलों को निरस्त कर दिया। भाजपा सरकार ने मापदंडों का कोई परीक्षण नहीं किया। केवल ऐसे लोगों की कमेटी गठित की गई जिन्होंने पहले से तय कर रखा था कि इन जिलों को खत्म करना है।

इसके बाद विधि और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने इसका जवाब देते हुए कहा कि जो जिले निरस्त किए गए हैं उन्हें लेकर न्यायालय में याचिका लगी हुई हैं। उन्होंने कहा कि नए जिले बनाने और उन्हें निरस्त करने का अधिकार सरकार के पास है। ये जिले जो निरस्त किए गए हैं और जो इस पर राजनीतिक द्वेषता के कारण निरस्त करने का सदन में जो आरोप लगाये गये, वह गलत हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार ने कोई राजनीति से प्रेरित व्यक्ति को जिला समीक्षा अध्यक्ष नहीं बनाया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आज तक नये जिलों के गठन के संबंध में चार कमेटियां बनी है। उन्होंने कहा कि नये जिलों के लिए भौगोलिक परिस्थितियां, प्रशासनिक संरचना, जनभावना, वर्तमान में उपलब्ध आधारभूत सुविधाएं आदि का आधार होता है लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने चुनावी दांव खेला लेकिन उसका यह दांव उल्टा पड़ गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने लंबे समय में एक भी जिले नहीं बनाए थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान में इससे पहले नये जिले भाजपा सरकार ने बनाए और इस बार राजनीतिक लाभ के लिए कांग्रेस ने एक साथ इतने जिले बना दिए।

इस पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि नये जिलों को समाप्त करना एक गंभीर विषय है और इसके संबंध में संसदीय मंत्री ने नये जिलों को समाप्त करने के बारे में कोई तथ्य नहीं बताये हैं कि किसी आधार पर इन जिलों को खत्म किया गया है। इस पर विपक्ष के सदस्य खड़े हो गए शोरगुल करने लगे। इस पर सत्ता पक्ष के सदस्य भी खड़े हो गए, दोनों में बहस के कारण सदन में जोरदार हंगामा हुआ। देखते ही देखते विपक्ष के सदस्य 12 बजकर 34 मिनट पर वेल में आ गये और नारेबाजी शुरु कर दी। हंगामे के कारण अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सदन की कार्यवाही भोजन अवकाश से पहले 12 बजकर 36 मिनट पर अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बाद में इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने हंगामा और वॉकआउट किया।

अजय अटल का निधन

पूर्व राजदूत राजा जे.के. अटल के पुत्र थे

-प्रकाश भण्डारी-

जयपुर, 6 फरवरी। गुलाबी शहर के कुलीन कश्मीरी पंडित परिवार के एक लाल पाकिस्तान, इटली, तुर्की और युगोस्लाविया में भारत के राजदूत रहे राजा जे.के. अटल के पुत्र अजय अटल का हृदय रोग के कारण गुरूवार संध्या को निधन हो गया। उनके दो पुत्र और एक पुत्री हैं और उनका दाह संस्कार शनिवार को होगा। वह 81 वर्ष के थे।

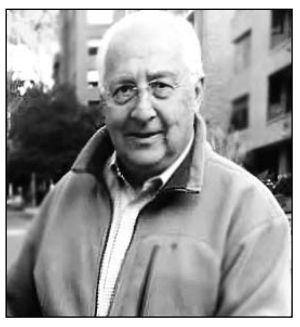

स्व. अजय अटल

अजय अटल के वंशज दीवान मोतीलाल अटल जो उनके पड़दादा थे जयपुर रियासत के दीवान थे। उनके दादाराजा अमरनाथ अटल जयपुर रियासत में वित्त मंत्री थे। अमरनाथ अटल के पुत्र जिन्हे अपने पिता की तरह राजा की उपाधी जयपुर के नरेशसवाई मानसिंह ने दी थी। राजा जे.के. अटल ने स्कूली शिक्षा इंग्लैण्ड में और फिर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से उन्होंने स्नातक की उपाधि ली और इण्डियन सिविल सर्विस (आइ.सी.एस.) के लिए चुने गए। आज़ादी के बाद पंडित जवाहर लाल नेहरू की सलाह पर वे विदेशसेवा में चले गए।

अटल परिवार का जयपुर से बड़ा पुराना सम्बन्ध रहा है और पोलो विक्ट्री सिनेमा वाली सड़क मोतीलाल अटल के नाम पर ही है।

रेलवे स्टेशन के पास विशाल अटल बन जिसके एक बड़े भू-भाग में राजपुताना होटल है, अटल परिवार की ही सम्पत्ति है। जिसके एक हिस्से में राजा जे.के. अटल और उनके भाई एन.एन. अटल रहते थे। अभी यहाँ अजय अटल अपने परिवार के साथ रहते थे।

अजय ने अपने पिता जो डाक टिकटों के सग्रह के बड़े शौकीन थे, के दुर्लभ संग्रहों को जो बहुमूल्य हैं संभालकर रखा हुआ था। इसके अलावा जयपुर रियासत काल के दस्तावेज, सिक्के और कई अन्य दुर्लभ वस्तुओं का भी संग्रह कर रखा था, जो अटल परिवार की धरोहर रही थी।

अजय अटल अपने परिवार की शान और ख्याति को बनाए हुए थे। अजय अटल आरम्भ से ही कलकत्ता में जे. थामस एण्ड कम्पनी में टी टैस्टर का कार्यकरते रहे। उन्हें विभिन्न चाय बागानों की चाय का स्वाद चखने का काम दिया गया था और वह अपने कार्य में बड़े निपुण रहे।

झोटवाड़ा रोड स्थित अटल परिवार की विशाल भूमि को उन्होंने एस.ओ.एस. विलेज को दे दिया। यह जमीन जो अब करोड़ों की है, जिस पर एक एन.जी.ओ., एस.ओ.एस. विलेज चलता है। इस एस.ओ.एस. विलेज में अनाथ और निर्धन बच्चों को शिक्षा-दीक्षा होती है। एस.ओ.एस. विलेज एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था है जिसकी स्थापना 1949 में हर्मन मेनियर ने की थी।

राजा जे.के. अटल ने इस विशाल बगीचे को 1976 में ही एस.ओ.एस. विलेज को दान में दे दिया था। अभी इस संस्था का संचालन अजय अटल ही कर रहे थे। यह एक विशाल भू-भाग में जहाँ अटल परिवार की पुरानी हवेली भी है संचालित होता है। अनाथ, गरीब और निर्धन बच्चों के लिए यहाँ भवन बनाया हुआ है। इस एस.ओ.एस. विलेज में 14 परिवार भी रहते है। यहाँ स्कूल और खेल के मैदान भी है और इसे देशका सबसे बढ़ि या एस.ओ.एस. विलेज माना जाता है। अभी यहाँ 64 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अजय अटल की माँ गंगा अटल, इलाहाबाद से थीं और नेहरू परिवार से घनिष्टता रखती थी। अजय अपने पीछे पत्नी नन्दिनी, जो आगरा के मशहूर डॉक्टर आनन्द राजदान की बेटी है, के अलावा दो पुत्र बिग्रेडियर डॉ. अमरतेज अटल, अनन्त अटल और एक पुत्री देविका और तन्खा छोड़ गए।

ज्वलनशील पदार्थों के परिवहन और भंडारण के निर्धारित मानदंडों की पालना करवाएं : कलेक्टर

जयपुर (कासं)। कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने जयपुर में ज्वलनशील पदार्थो, रसायन और गैस के परिवहन-भंडारण के लिए निर्धारित मानदंडों की पालना हर हाल में सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने

> ■ **जयपुर में भांकरोटा अग्निकांड जैसे हादसों की पुनर्रावृत्ति रोकने के लिए कलक्टर ने की अफसरों व पेट्रोलियम कंपनी के प्रतिनिधियों से चर्चा**

जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में गैसीय एवं रसायन परिवहन सम्बंधी वाहन एवं वाहन चालकों के लिए सुरक्षात्मक उपायों के संबंध में चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला कलक्टर ने संबंधित विभागों के अधिकारियों एवं पेट्रोलियम कंपनियों को प्रतिनिधियों को आमजन की सुरक्षा के लिए अत्यधिक सतर्कता बरतने के लिए निर्देशित किया।

बैठक में भांकरोटा हादसे की पुनरावृत्ति रोकने के लिए विषय विशेषज्ञों, पेट्रोलियम कंपनियों के प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों से प्राप्त सुझावों पर चर्चा की गई। इस दौरान जिला कलक्टर ने गैसीय एवं रसायन परिवहन संबंधी वाहन चालकों को प्रशिक्षण के लिए एक सामूहिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करने, जयपुर में स्थित सभी पेट्रोलियम एवं गैस पाइप लाइन संबंधित प्लान जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। साथ ही उन्होंने 50 नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को भी गैसीय एवं रसायन संबंधी आपदाओं से निपटने हेतु राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने, आपदा प्रबंधन के तहत समय-समय पर गैसीय एवं रसायन संबंधी आपदाओं से निपटने हेतु आमजन को जागरूक करने जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के साथ-साथ सभी संबंधित विभागों को समय-समय पर मॉक ड्रिल कर अपनी तैयारी परखने के लिए भी निर्देशित किया। बैठक में सभी वाहनों के पंजीयन प्रमाण पत्र, फिटनेस प्रमाण पत्र, बीमा प्रमाण पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज नियमित रूप से अपडेट रखने की व्यवस्था सुनिश्चित करने, वाहनों में अनिवार्य रूप से जीपीएस सिस्टम का उपयोग करने, वाहन चालकों से यातायात नियमों की अवहेलना ना करने संबंधित शपथ-पत्र लेकर पाबंद करवाने के निर्देश दिये गए।

अनजान अपराधी होने पर पुलिस सुनिश्चित करे पहचान परेड : हाईकोर्ट

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने दुष्कर्म से जुडे मामले में आरोपियों को दोषमुक्त करने हुए कहा है कि कई बार जांच एजेंसी आमजन को शांत करने के लिए निर्दोष व्यक्ति को फंसाकर शर्मनाक स्थिति से बचती है। प्रकरण में भी पुलिस वास्तविक अपराधियों को पकडने में विफल रही है। यदि पुलिस ने आरोपियों की पहचान परेड कराई होती तो स्थिति अलग हो सकती थी। ऐसे में जांच एजेन्सी से अपेक्षा की जाती है कि वह ऐसे मामलों में पहचान परेड कराए।

> ■ **राजस्थान हाईकोर्ट ने दुष्कर्म से जुडे मामले में आरोपियों को दोषमुक्त करने हुए कहा है कि ''कई बार जांच एजेंसी आमजन को शांत करने के लिए निर्दोष व्यक्ति को फंसाकर शर्मनाक स्थिति से बचती है। यदि पुलिस ने आरोपियों की पहचान परेड कराई होती तो स्थिति अलग हो सकती थी। ऐसे में जांच एजेन्सी से अपेक्षा की जाती है कि वह ऐसे मामलों में पहचान परेड कराए।''**

इसके साथ ही अदालत ने डीजीपी और गृह सचिव को कहा है कि घटना से जुड़े अपराधी पीडिता के लिए अनजान होने पर उसकी पहचान परेड सुनिश्चित कराई जाए। जस्टिस अनूप कुमार ढंड की एकलपीठ ने यह आदेश मदन व दो अन्य की ओर से दायर आपराधिक अपील पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि पहचान परेड अपराध जांच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसमें लापरवाही होने पर निर्दोष व्यक्ति को सजा मिलने या असली अपराधी के बच निकलने का खतरा रहता है।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता रिनेश गुप्ता ने कहा कि मामले में प्रकरण की पीडिता ने अपने बयानों में कहा है कि वह अपीलार्थियों को उनके नाम से नहीं जानती थी। परिजनों के कहने पर उसने नाम बताए थे। ऐसे में पुलिस को आरोपियों की पहचान परेड करानी चाहिए थी, लेकिन पुलिस ने पहचान परेड नहीं कराई। ऐसे में निचली अदालत ने उन्हें गलत तरीके से दंडित किया है। इसलिए निचली अदालत के आदेश को रद्द कर उन्हें बरी किया जाए।

मामले के अनुसार पीडिता ने 23 मई 1989 को चाकसू थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें कहा था कि उसका पति नित्यकर्म के लिए गया था। इस दौरान तीन लोगों ने आकर उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले में आरोप पत्र पेश होने के बाद निचली अदालत ने अपीलार्थियों को दस साल की सजा और जुर्माने से दंडित किया था। अदालत के इस आदेश को हाइकोर्ट में चुनौती दी गई थी।

28 ग्राम स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार

जयपुर। जयपुर कमिश्नरेट की स्पेशल जिला स्पेशल टीम (सीएसटी) ने ऑपरेशन ''क्लीन स्वीप'' के तहत प्रतापनगर थाना इलाके में कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ स्मैक की तस्करी करने वाले तस्कर गोलू मीणा को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपित के कब्जे से 28 ग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मैक बरामद की है। आरोपित यह अवैध मादक स्मैक अकलेरा जिला झालावाड़ से लाकर जयपुर में बेचता है। पुलिस के अनुसार जब्त की गई स्मैक की अनुमानित बाजार मूल्य 5 लाख 60 हजार रुपये है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ ने बताया कि पुलिस कमिश्नरेट की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत सीएसटी ने प्रतापनगर थाना इलाके में कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ स्मैक की तस्करी करने वाले तस्कर गोलू मीणा निवासी निवासी कचनारिया जिला बारां सीतापुरा जयपुर को गिरफ्तार किया।

महिला के पेट से 15 किलो की गांठ निकाली

जयपुर। सवाई मानसिंह अस्पताल के डॉक्टर्स ने एक महिला के पेट का ऑपरेशन कर 15 किलो की गांठ निकाली है। करीब 4 घंटे तक चले इस ऑपरेशन में गांठ के 6-7 टुकड़े करके बाहर निकाला गया।

> ■ **सवाई मानसिंह अस्पताल के डॉक्टर्स ने किया जटिल ऑपरेशन**
>
> ■ **इस भारी भरकम गांठ के कारण महिला के शरीर में आंत-किडनी दब गई थी, उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी**

हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र बुगलिया ने बताया कि गांठ इतनी बड़ी थी कि इससे पेट की आंत और बायीं तरफ की किडनी दोनों दब रहे थे। ऑपरेशन में इन दोनों को डैमेज किए बगैर गांठ निकालना चुनौती था। ऑपरेशन के बाद महिला अब बिल्कुल ठीक है और सामान्य जीवन जी रही है। बताया जा रहा है कि महिला का ऑपरेशन 9 जनवरी को हुआ था। महिला को 23 जनवरी को छुट्टी दे दी गई थी। दो बार उसकी हेल्थ का रिव्यू लेने के बाद डॉक्टर्स की टीम ने गुरुवार को इस केस की जानकारी शेयर की। डॉक्टर राजेंद्र बुगलिया ने बताया कि उत्तर प्रदेश निवासी कलादेवी (51) गत 6 दिसंबर 2024 को ओपीडी में दिखाने आई थीं। उनका पेट बहुत बड़ा दिख रहा था। उन्हें एसएमएस हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। एक्सरे, सीटी स्कैन समेत तमाम जांच करवाने के बाद पता चला कि पेट में लिपोसारकोमा गांठ है। इसके बाद ऑन्कोलॉजी समेत कई डिपार्टमेंट से राय ली गई। सब जगह से क्लीयरेंस मिलने के बाद 9 जनवरी को ऑपरेशन किया गया। अमूमन इतनी बड़ी गांठ होना बहुत दुर्लभ होता है। अक्सर इतनी बड़ी गांठ होती है तो उनमें से अधिकांश में फ्लूड भरा होता है, जिसे पंक्चर करके निकाला जाता है। लेकिन, यह गांठ पूरी तरह सॉलिड थी। गांठ के कारण महिला को सांस लेने की तकलीफ होने लगी थी।

मंत्री राज्यवर्धन सिंह के पिता का निधन

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्व. कर्नल लक्ष्मण सिंह राठौड़ की पार्थिव देह पर श्रद्धासुमन अर्पित किए

जयपुर। कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के पिता कर्नल लक्ष्मण सिंह राठौड़ का गुरूवार को निधन हो गया। वे 84 वर्ष के थे। स्व. लक्ष्मण सिंह पिछले एक माह से महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती थे। यही उपचार के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। वे सेना में कर्नल के पद से रिटायर हुए थे। उनका अंतिम संस्कार शुक्रवार को होगा। इससे पहले पार्थिव देह को सुबह 11 बजे तक अंतिम दर्शनों के लिए रामविहार पांच्यावाला में रखा जाएगा। शव यात्रा दोपहर 12:30 बजे जनक विहार, वार्ड नंबर-48 के लिए रवाना होगी।

स्व. कर्नल लक्ष्मण सिंह राठौड़

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरूवार को उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ के निजी आवास पर पहुंचकर उनके पिता स्व. कर्नल लक्ष्मण सिंह राठौड़ की पार्थिव देह पर पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। शर्मा ने कर्नल लक्ष्मण सिंह राठौड़ के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिजनों को सांत्वना दी। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए और परिजनों को यह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। इस दौरान उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, वन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा, सैनिक कल्याण राज्य मंत्री विजय सिंह, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म, विधायक जितेंद्र गोठवाल, प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। कर्नल

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्व. कर्नल लक्ष्मण सिंह राठौड़ की पार्थिव देह पर पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।

राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि, पिताजी ने भारतीय सेना में अपने दीर्घकालिक सेवा काल में अनुकरणीय योगदान दिया और देश की रक्षा व सेवा में अपना जीवन समर्पित किया। ईश्वर से प्रार्थना है कि मेरे पूज्य पिताजी की दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दे। पिताजी की शिक्षा, आदर्श, मार्गदर्शन और आशीर्वाद हमेशा मुझे कर्तव्य पथ पर राष्ट्रसेवा के लिए प्रेरित करता रहेगा।

'लोकसभा और राज्यसभा की तर्ज पर ही विधानसभा में भी चलेगा प्रश्न काल'

जयपुर (विसं)। विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने गुरुवार को सदन में व्यवस्था देते हुये कहा कि प्रश्न काल में विधायको के प्रश्न और राज्य सरकार से प्राप्त जवाब सदन के पटल पर आने के बाद उन्हें सभी के संज्ञान में आया हुआ माना जाता है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में प्रश्नों और उनके जवाबों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। देवनानी ने कहा कि विधायक उस प्रश्न से संबंधित पूरक प्रश्न पूछ सदन में पूछ सकते हैं, जिस पर संबंधित मंत्री जवाब देंगे। देवनानी ने कहा कि उन्होंने राज्य सभा, लोक सभा सदस्यों व सचिवालय और अन्य राज्यों के विधान सभा सचिवालयों से इस संबंध में जानकारी ले ली है। वहां भी पटल पर रखे जाने वाले प्रश्न और उनके जवाबों को पढ़ा नहीं जाता है। देवनानी ने कहा कि राजस्थान विधान सभा में भी अब यही व्यवस्था रहेगी। उन्होंने कहा कि इससे सदन के महत्वपूर्ण समय के प्रत्येक पल का अधिक सदुपयोग होगा और प्रश्नकाल के निर्धारित समय में अधिक से अधिक प्रश्नों पर चर्चा हो सकेगी।

> ■ **विधानसभा पटल पर रखे गए प्रश्न व उत्तर संज्ञान में माने जाते है : देवनानी**
>
> ■ **स्पीकर वासुदेव देवनानी ने दी सदन में व्यवस्था**

विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी

'पिछली सरकार में दो लोगों के बीच मुख्यमंत्री पद की लडाई में राजस्थान की हालत खराब हुई'

विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण प्रस्ताव पर बहस के दौरान भाजपा विधायक बालमुकुंदचार्य ने कांग्रेस पर निशाना साधा

-विधानसभा संवाददाता-

जयपुर। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर हवामहल क्षेत्र से विधायक बालमुकुंदचार्य ने कहा कि विपक्ष के पास सरकार के खिलाफ बोलने को कुछ भी नहीं है, वो तो केवल मम्मी, बेटा, दीदी और जीजाजी की मेहमाननवाजी में लगा हुआ हैं। पिछली सरकार के समय प्रदेश के इनकी पार्टी के नेता परेशान रहते थे कि किस की ओर जाए। दो लोगों के बीच मुख्यमंत्री पद की लडाई में राजस्थान की हालत खराब हुई। जब कोविड जैसी आपदाएं आई तब सरकार तो होटलों में थी। संविधान को लेकर जनता को भ्रमित किया गया, जबकि असलियत में तो इन्होंने ही बाबा साहेब को आगे बढ़ने से रोका था। उन्हें टिकट नहीं दिया, जबकि हमारी सरकार ने बाबा साहेब से संबंधित स्थलों को पंचतीर्थ बनाया। भजनलाल सरकार प्रदेश को उन्नित की राह पर ला रही हैं।

> ■ **राजस्थान में अक्षय ऊर्जा बने लेकिन ओरण गौचर जमीनों को उनकी कीमत न चुकानी पड़े : भाटी**
>
> ■ **'पिछली सरकार ने प्रदेश को गर्त में डाला, भजनलाल सरकार उबारने में जुटी'**

बाड़मेर के शिव क्षेत्र से विधायक रविन्द्र भाटी ने सदन में कहा कि जब राइजिंग राजस्थान का आयोजन हुआ तो कहा गया कि इससे सरहदी इलाका चमन हो जाएगा, जैसा की रिफाइनरी के समय बोला गया था। लेकिन वहां की जनता को कुछ भी नहीं मिला। इस बार सरहदी इलाकों में सौर ऊर्जा के प्लांट लगाए जा रहे हैं। उसके लिए ओरण, गौचर और जोहड़ को खत्म किया जा रहा है। ऐसा नहीं होना जाहिए। जहां एक ओर प्रधानमंत्री मोदी अभियान चलाते हैं कि ''एक पेड़ मां के नाम'' परंतु प्रदेश में हजारों पेड विकास के नाम पर काट दिए जा रहे हैं। राजस्थान में जब लंपी रोग आया तो यही पेड़ एक आसरा था पशुधन के लिए।

भाजपा विधायक अर्जुन लाल जीनगर कहा कि पिछली सरकार ने जहां प्रदेश को गर्त में ला दिया था उसे भजनलाल सरकार ने उबार कर विकास की राह पर ला दिया था। पहले सड़क पर डामर कम गड्ढे ज्यादा मिलते थे। अब चारों ओर सड़कों जाल बिछ गया, बाकि जगहों पर बिछ रहा हैं। भजनलाल सरकार की कार्य की पारदर्शिता इतनी है कि एक मंत्री पर भ्रष्टाचार पर एक पैसे का इल्जाम नहीं हैं। भजनलाल सरकार तो पीएम मोदी के सबका साथ सबका विकास के मॉडल पर काम कर रही हैं।

'भाजपा को सींचने वाले ही खिलाफ क्यों?'

जयपुर। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा करते हुए कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर ने कहा कि, ''कहा जाता रहा है कि प्रदेश में भाजपा को सींचने वाले लोगों में किरोड़ीलाल लाल मीणा, वसुंधरा राजे, देवी सिंह भाटी जैसे लोग हैं। परंतु आज ये ही खिलाफ क्यों हैं, इसका जवाब तो दीजिए।''' उन्होंने कहा कि जब सरकार बनी तब पेपर लीक, ईआरसीपी को लेकर कई वादे किए गए। इन्होंने कहा हम पेपर लीक में मगरमच्छ पकड़कर युवाओं को न्याय देंगे। जो लोग मगरमच्छ पकड़ने की बात कर रहे थे, उन्होंने छोटी मछलियां पकड़ी, वो भी जाल से बाहर निकल गईं। उन्होंने कहा कि शेखावाटी और नागौर में जातिगत आधार पर ट्रांसफर कर प्रताडित किया जा रहा हैं। इस पर सदन में हंगामा हो गया। जिसके कारण से सत्ता पक्ष ने कड़ा ऐतराज जताया। और मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि जातिगत आधार पर लोगों को बांटने की कांग्रेस की फितरत रही है, इस पर जमकर नोंक-झोंक हुई।

लंबित कोर्ट केसेज का लोक अदालत में हो रहा निपटारा : मदन राठौड़

जयपुर। देश में लोक अदालतों के माध्यम से न्यायालयों में चल रहे मामलों का तेजी से निस्तारण किया जा रहा है। इसमें उन मामलों को रखा जा रहा है जो मुकदमेबाजी के पहले चरण में ही निस्तारित हो सकते है। इसकी जानकारी केन्द्रीय विधि एवं न्याय मंत्री राज्यमंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने राज्यसभा सांसद व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड की ओर से पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में दी। उन्होंने कहा कि लोक अदालतें संबंधित न्यायालयों के भेजे मामलों का ही निस्तारण करती है। वर्ष 2025 में राष्ट्रीय लोक अदालतें दिनांक 8 मार्च, 10 मई, 13 सितंबर और 13 दिसंबर को आयोजित होगी जिससे लंबित लाखों मामलों में नागरिकों को राहत मिल सकेगी।

> ■ **'गत वर्ष स्थाई लोक अदालत में 10 करोड से अधिक मामले निस्तारित'**

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद मदन राठौड ने बताया कि केन्द्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल के अनुसार देश में लोक अदालत के माध्यम से न्यायालयों का बोझ कम किया जा रहा है। इसके चलते गत वर्ष ही देशभर में 10 करोड 45 लाख 26 हजार मामलों को निस्तारित किया गया है। वहीं राज्य लोक अदालत में निस्तारित होने वाले मामलों की संख्या 10.88 लाख रही है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद मदन राठौड ने बताया कि केन्द्रीय कानून मंत्री ने जानकारी दी है कि लोक अदालतों का आयोजन विधिक सेवा संस्थानों द्वारा ऐसे अंतरालों पर किया जाता है, जैसा वे उचित समझते हैं। लोक अदालतें न्यायालयों पर बोझ कम करने के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) तंत्र के प्रभावी तरीकों में से एक हैं, जिन्हें जनता से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है।

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद मदन राठौड ने बताया कि केन्द्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल के अनुसार राज्य लोक अदालत में विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा स्थानीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार पूर्व मुकदमेबाजी और पश्चात मुकदमेबाजी दोनों प्रकार के मामलों के निपटारे के लिए किया जाता है। स्थायी लोक अदालतें अधिकांश जिलों में स्थापित स्थायी स्थापन हैं, जो सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए अनिवार्य पूर्व-मुकदमेबाजी से राहत देती है। राष्ट्रीय और राज्य लोक अदालतें स्थायी स्थापन नहीं हैं और संबंधित न्यायालयों द्वारा भेजे गए लंबित मामलों का ही निपटारा करती हैं। ये लोक अदालतें स्थायी प्रकृति की नहीं होती इसलिए सभी अनसुलझे मामले संबंधित न्यायालयों को वापस कर दिए जाते हैं। ऐसे में इन लोक अदालतों में मामले लंबित नहीं रहते हैं।